न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल।
प्रस्तुत समक्षः— श्री मनीष कुमार पाण्डेय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी,
परिवाद पत्र सं0 — 257सी /2025
पिन्टु कुमार गुप्ता बनाम नरेश प्रसाद
परिवादी के विद्वान अधिवक्ता—क

1

04.06.2026 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामले में वाद आज आदेश हेतू निर्धारित है। परिवादी की ओर से पैरवी है। मामले में न्यायालय शपथ पर बयान, जॉच साक्ष्य, एवं परिवाद पत्र का अवलोकन करती है। शपथ पर बयान के अनुसार घटना 29.07.2025 की है। नरेश, अमरेश, माधव पर केस किया है। हम जमीन नरेश से 2007 में लिये । 10 कट्ठा जमीन लिये। रसीद कट रहा है। नरेश ने कहा 03 कट्ठा जमीन हमारी है। बाद में नपवाने पर जमीन गलत निकली। बाद में हम 45 हजार रूपये सुधार कराने हेतु जमा किये बाद में सुधार नही किया। और कहा की 2.5 लाख रूपये लेंगे तब लिखेंगे।

प्रस्तुत मामलें में न्यायालय द्वारा पूछे गये सवाल के जवाब में परिवादी ने बताया की जमीन पर मेरा कब्जा है। खेती की जमीन है। थाने पर केस नही किया है।

प्रस्तुत मामला भा0 न्याय0 संहि0 के लागू होने से बाद का है अतः अभियुक्तो को नोटिस निर्गत किया गया है। अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित नही हुए। अभियुक्तों को पर्याप्त अवसर देने के पश्चात् मामलें में 17.04.2026 को सुनवाई पूर्ण की गयी और मामलें को आदेश पर रखा गया।

प्रस्तुत मामले में जब न्यायालय परिवाद पत्र पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं परिवादी के बयान , जॉच साक्षी के साक्ष्य के अवलोकन के पश्चात् न्यायालय यह पाती है की मामलें में परिवादी के साथ जीमन को लेकर नरेश प्रसाद के द्वारा 45,000/— रूपये लिया गया परंतु बाद में सुधार नही किया गया। साक्षियो ने घटना का समर्थन किया है।

अब न्यायालय समस्त साक्ष्यों के आधार पर समस्त अभिलेख का अवलोकन करती है तब न्यायालय **भगवती देवी बनाम् उतर प्रदेश राज्य 1975 ए. आई. आर.83 एस.सी. में दिए गए निर्देश जिसमें कहा गया है की शिकायत का संज्ञान लेना प्रारंभिक जॉच का हिस्सा है, संज्ञान का अर्थ यह नहीं है की आरोपी को दोषी माना जा रहा है बल्कि यह केवल यह तय करने के लिए है की मामला सुनवाई योग्य है की नहीं।**

अगर शिकायत प्रथम दृष्ट्या अपराध को दर्शाती है तो मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेने का अधिकार है, न्यायालय को प्रारंभिक चरण में अत्यधिक साक्ष्यों की मांग नहीं करनी चाहिए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक अन्य निर्णय नुपुर तलवार बनाम केंद्रीय जॉच ब्यूरो (2012)11 एस.सी.सी. 465 में स्पष्ट कहा है की मजिस्ट्रेट को शिकायत केतथ्यों का विश्लेषण करना चाहिए, अगर प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है तो संज्ञान लेने से इंकार नहीं किया जा सकता। संज्ञान के समय

ARWAL CIVIL COURT

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल।
प्रस्तुत समक्षः— श्री मनीष कुमार पाण्डेय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी,
परिवाद पत्र सं0 — 257सी /2025
पिन्टु कुमार गुप्ता बनाम नरेश प्रसाद
परिवादी के विद्वान अधिवक्ता—क

गहराई से साक्ष्य की सत्यता की जॉच करना आवश्यक नहीं है, यह कार्य मुकदमे की सुनवाई के दौरान किया जाएगा।

न्यायालय के सामने परिवादी के द्वारा की गयी शिकायत के तथ्यों के विश्लेषण के संबंध में एक तथ्य स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त नरेश प्रसाद के द्वारा परिवादी के साथ 45,000/— रूपये लेकर सुधार न करने का कार्य किया गया जो आपराधिक दुर्विनियोग एवं छल का अपराध बनता प्रतीत होता है। अन्य अभियुक्त की संलिप्तता अभिलेख पर नही है। इस प्रकार से प्रस्तुत मामले में न्यायालय मामले में संज्ञान के स्तर पर जब न्यायालय के समक्ष उपस्थित तथ्यों का अवलोकन करती है तो न्यायालय यह पाती है कि संज्ञान के समय न्यायालय केवल यह देखती है कि क्या प्रथम दृष्टया मामला बनता प्रतीत होता है या नहीं। प्रस्तुत मामले में न्यायालय के समक्ष उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अभियुक्त नरेश प्रसाद के विरूद्ध भा0 न्याय0 संहि0 की धारा—314, 318(2) के अंतर्गत प्रथम दृष्टया मामला बनता पाती है अतः **अभियुक्त नरेश प्रसाद के विरूद्ध भा0 न्याय0 संहि0 की धारा—314, 318(2)** के अंतर्गत संज्ञान लिया जाता है।

परिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वह दिनांक—04.07.2026 तक समन की अपेक्षिताएं जमा करें।

लेखापित,

(मनीष कुमार पाण्डेय)
(जे0 ओ0 कोड बी0 आर0 00961)
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,अरवल।

ARWAL CIVIL COURT